

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2013

विषय: वर्ष 2013 में सूखा हेतु कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सूखा एक मुख्य आपदा है। सूखा धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय प्रदान करता है परन्तु जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। मानसून अवधि में कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे की स्थिति सम्भावित होती है, जिससे जायद एवं खरीफ की फसलों के लिये सिंचाई, मनुष्यों के लिये पेयजल और विभिन्न बीमारियों तथा पशुओं हेतु पेयजल एवं चारे के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल जनपद की सूखा प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी विलम्ब के उसका पूर्ण तैयारी के साथ सामना किया जा सके एवं जन-सामान्य को न्यूनतम असुविधा हो। सूखे का सामना दो तरह से किया जाता है, प्रथम दीर्घकालिक योजना बनाकर तथा द्वितीय तात्कालिक उपायों से राहत प्रदान करके सूखा का प्रभाव कम किया जा सकता है। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये निम्न दीर्घकालिक योजनाओं का अनुपालन किये जाने का प्रयास किया जाय:-

- 1-वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- 2-पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- 3-पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीवीकरण।
- 4-अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- 5-पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- 6-मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- 7-अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- 8-फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।

9-फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जलसंरक्षण को बढ़ावा देना।

10-कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।

11-स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

2. सूखा प्रबन्ध योजना बनाने में आपके स्वयं के अनुभव, विभागों की दक्षता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग किया जाना लाभप्रद होगा। अतः तत्काल इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर गठित सूखा परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर ली जाये। बैठक में प्रबन्ध योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाये। जनपद की अद्यतन सूखा प्रबन्ध योजना की एक प्रति शासन के राजस्व अनुभाग-11 को विलम्बतम दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

3. यद्यपि प्रत्येक जनपद को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताएं चिन्हित करनी होगी, तथापि कतिपय सामान्य बिन्दु जो प्रत्येक जनपद के लिए सुसंगत हैं, को विभागवार नीचे इंगित किया जा रहा है, इन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए :-

पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नगर विकास विभाग

-पेयजल की सभी स्रोतों/संसाधनों की उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग हेतु तैयार करना।

-खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित करना।

-पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराना।

-पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों/नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

-खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

ऊर्जा विभाग

-खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

-रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सिंचाई विभाग

-सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों के चालू स्थिति में रखना।

-नहरों के रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था।

-नहरों की अवैध कटान पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग

-मनुष्यों को लू संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था।

—महामारियों से नियन्त्रण हेतु वांछित दवाओं को चिन्हांकन करके समुचित स्टॉक की व्यवस्था।

पशुधन विभाग

—पशुओं के चारे के अभाव की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।

—पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था।

—महामारी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टॉक की व्यवस्था।

खाद्य एवं रसद विभाग

—आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना।

—कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना।

कृषि विभाग/उद्यान विभाग

—मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार करना।

—वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था।

—फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था।

उक्त कार्य संबंधित विभागों के बजट से ही कराये जाने चाहिये।

4. आप अवगत हैं कि आपदा राहत निधि का उपयोग विभागीय योजनाओं के संवर्धन, विस्तार या अनुरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है। आपदा आ जाने की स्थिति में निर्धारित मदों में ही आपदा राहत निधि से धनराशि व्यय करने की अनुमन्यता है। संभावित आपदा से बचाव के लिए धनराशि व्यय करना अनुमन्य नहीं है।

5. वर्षा के अभाव में आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित खेतिहर मजदूरों की समस्या के निदान हेतु सर्वप्रथम मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब इन मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जाये तथा मनरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई अतिरिक्त किश्त प्राप्त करना सम्भव न हो/उपलब्ध न हो रहा हो तब जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित करेंगे और वे इस प्रस्ताव को पूरे प्रदेश के संदर्भ में संहत रूप में तैयार करके अपने प्रशासकीय विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ संदर्भित करेंगे।

6. ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थों की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अग्निकाण्ड न्यूनीकरण हेतु आम लोगों को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोग हो सके इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। अग्निकाण्ड (दैवीय आपदा) प्रभावित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनांक 16-01-2012 के अनुसार समय से राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।

7. समय से पर्याप्त वर्षा न होने अर्थात् सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में इसका जायद एवं खरीफ की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की पूर्ण सतर्कता के साथ सतत् समीक्षा की जाये। इस कार्य में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनपद में अवर्षण के कारण खरीफ की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में

जाये। इस कार्य में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनपद में अवर्षण के कारण खरीफ की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में

दिनांक 30 जून, 10 जुलाई, 25 जुलाई एवं 31 जुलाई को निर्धारित प्रारूप पर फसलवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।

8. पेयजल, विद्युत आपूर्ति, महामारी आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25 मई, 2013 से 31 अगस्त, 2013 तक संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक सोमवार को वेबसाइट जिसका पता <http://upgov-up-nic-in/rahat> है, पर उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-219 (1)/1-11-2013-18(जी)/06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूखे की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग-11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-219 (2) / 1-11-2013-18(जी) / 06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
13. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-219 (3) / 1-11-2013-18(जी) / 06, तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

सूखे से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-219 / 1-11-2013 दिनांक 4.4.2013
का संशोधित प्रारूप

साप्ताहिक रिपोर्ट

(प्रत्येक सोमवार प्रातः 11.00 बजे तक राज्य कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।)

जनपद का नाम :

1. रिपोर्ट की तिथि -

2. मौसम की स्थिति -

दिन	तिथि	तापमान		वर्षा (मिमी०)
		अधिकतम	न्यूनतम	
सोमवार				
मंगलवार				
बुधवार				
बृहस्पतिवार				
शुक्रवार				
शनिवार				
रविवार				

3. विद्युत आपूर्ति (घण्टों में) -

(अ) मण्डल मुख्यालय

(ब) जिला मुख्यालय

(स) ग्रामीण क्षेत्र

(द) खराब ट्रांसफार्मर की स्थिति -

(ध) ऊर्जीकरण हेतु अवशेष नलकूपों की स्थिति -

4. डीजल की उपलब्धता की स्थिति -

5. नहरों की स्थिति -

(अ) कुल टेलों की संख्या (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति) -

(ब) जिन टेलों पर पानी नहीं पहुँचा उनकी संख्या (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति) -

(स) जनपद में स्थापित पम्प कैनाल की संख्या -

(द) पम्प कैनाल द्वारा सिंचाई की स्थिति

6. हैंड पम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति -

मद	जनपद में कुल संख्या	स्थायी रूप से खराब की	मरम्मत योग्य		अभ्युक्ति
			15 दिन से कम	15 दिन से अधिक	

			संख्या	खराब की संख्या	खराब की संख्या	
1	हैण्डपम्प (ग्रामीण क्षेत्र)					
	हैण्डपम्प (शहरी क्षेत्र / स्थानीय निकाय)					
2	सरकारी नलकूप (पेयजल) (ग्रामीण क्षेत्र)					
	सरकारी नलकूप (पेयजल) (शहरी क्षेत्र / स्थानीय निकाय)					
3	सरकारी नलकूप (सिंचाई)					

7.

मद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र / स्थानीय निकाय	अभ्युक्ति
जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्या			
उक्त के लिये आवश्यक धनराशि (लाख रु० में)			
जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि (लाख रु० में)			
अब तक रिबोर कराये गये हैण्डपम्प की संख्या			
रिबोर कराने हेतु अवशेष हैण्डपम्प की संख्या			

नोट :- बिन्दु संख्या 5, 6 एवं 7 पर रिपोर्ट के प्रेषण के समय जिला प्रशासन द्वारा संग्रहित सूचना की समीक्षा जिला स्तरीय सम्बन्धित विभाग की सूचनाओं से मिलान करके मौके पर प्राप्त वास्तविक स्थिति को इन्द्राज किया जाय।

8.

क्र. सं.	निकाय	पेयजल समस्त सं ग्रस्त	महामारी प्रभावित	पशुरोग प्रभावित	चारों की कमी
1	ग्रामों की संख्या				
2	नगरों की संख्या				
3	नगर पालिकाओं की संख्या				
4	नगर निगमों की संख्या				

नोट :- यदि कोई आवादी समस्या ग्रस्त है तो जनपद स्तर पर निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही की

जा रही है इसका विवरण उल्लिखित किया जाय। उदाहरणार्थ, पेयजल जल समस्या ग्रस्त ग्राम/नगर/आबादी में कितने दिन से समस्या ग्रस्त है। पेयजल हेतु कितने टैंकर लगाय गये हैं। टैंकर से जलापूर्ति हेतु चिन्हित स्थान, टैंकर से जलापूर्ति हेतु टैंकरों की कुल आवश्यकता, जलापूर्ति हेतु वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे टैंकरों की संख्या।

9. तालाबों/जलाशय में पानी की स्थिति (पंचायती राज विभाग/सिंचाई विभाग)–
 (अ) जनपद में तालाब/जलाशय की संख्या –
 (ब) जनपद में जल से भरे/भराये गये तालाब/जलाशय की संख्या–
 (स) जनपद में सूखे तालाब/जलाशय की संख्या–
 (द) तालाब/जलाशय विहीन ग्रामों की संख्या –

10. कूपों की स्थिति –
 (अ) जनपद में कुल कूपों की संख्या–
 (ब) पेयजल/सिंचाई हेतु प्रयोज्य कूपों की संख्या –
 (स) निष्प्रयोज्य कूपों की संख्या–

11. पशुधन विकास की स्थिति –
 (अ) जनपद में पशु आहार/चारे की स्थिति –
 (ब) पशुओं हेतु पीने के पानी से समस्याग्रस्त ग्राम व उसके सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण –

12. जनपद में खरीफ फसल की बोवाई की स्थिति –

क्र. सं.	विवरण	धान	उरद	अरहर	बाजरा	मूंग	तिल	अन्य
1	लक्ष्य (लाख हे०)							
2	बोया गया क्षेत्रफल (लाख हे०)							
3	अवर्षण के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसल (लाख हे०)							

13. जनपद में सूखे से सम्बन्धित किसी विभाग हेतु कोई अपेक्षा हो तो उससे सम्बन्धित तथ्यात्मक टिप्पणी –